संख्या– 263 /VI/2005–58(पर्य0)2004

प्रेषक,

ए0के0घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2005

पर्यटन अनुभाग:

विषयः–वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत वन भूमि की वानिकी कार्यो के लिए प्रत्यावर्तन के तहत एन0पी0वी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–613/2–5–80/2004 दिनांक 4–3–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत वन भूमि की वानिकी कार्यो के लिए प्रत्यावर्तन के तहत एन0पी0वी0 की धनराशि रूपये 36.51 लाख (रू0 छत्तीस लाख इकावन हजार मात्र) को संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण शासनादेश संख्या–634 VI/2004–58 पर्य0/2004 दिनांक 10–9–2004 में इंगित शर्तो के अधीन ही किया जायेगा ।

4– प्रस्ताव में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

5–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–19–भूमि अध्याप्ति/क्रय–पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिये–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7––उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–839/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 19 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0के0घोष)
अपर सचिव

संख्या– VI/2005–58(पर्य0)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, चमोली।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, गोपेश्वर ।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
11– नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,वन विभाग, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून ।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

21/3/05

(ए0वी0घोष)
अपर सचिव

बी०एम०–15
पुनर्विनियोग का विवरण पत्र 2004–05
नियंत्रण अधिकारी– निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल,देहरादून।

अनुदान संख्या–26

(धनराशि हजार रू० में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की सकल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
आयोजनागत–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य –104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–निर्माण कार्य चालू–24–वृहत् निर्माण कार्य 8,00,00	3,52,25	4,11,24	36,51(क)	आयोजनागत–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–19–भूमि अध्याप्ति/क्रय, पर्यटक आवास गृहों/पर्यटन विकास योजनाओं के लिये–42–अन्य व्यय 36,51(ख)	46,51	–	(क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) आय–व्ययक प्राविधान पर्याप्त न होने एवं आवश्यकता अधिक होने के कारण ।
रू0 8,00,00	3,52,25	4,11,24	36,51	36,51	46,51	–	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधान एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(ए०के०घोष)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–263 वि०अनु०–3/2005
देहरादून:दिनांक:2 मार्च,2005

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),
ओबरॉय भवन,माजरा,देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(डी०एन०सिंह)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या–263/VI/2005–58 (पर्य0)2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3

आज्ञा से,

(ए०के०घोष)
अपर सचिव।